निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर, जयपुर (राज.)

(1) प्रकरण संख्या 38/2014 (राजस्व अपील)

डॉ. दयाराम स्वामी चेला महन्त राम प्रसाद स्वामी सेवक एवं हितारी सार्वजनिक प्रन्यास श्री दादू द्वारा रामगंज बाजार, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर ।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर पता जवाहर लाल सर्किल, रामबाग सर्किल, जयपुर ,जरिये सचिव
3. महन्त रामप्रकाश दास स्वामी चेला स्व. श्री हनुमान दास स्वामी महन्त/प्रबन्धक/एकल प्रन्यासी श्री दादूद्वारा रामगंज प्रन्यास निवासी श्री दादूद्वारा निवाई महन्त की हवेली रामगंज बाजार जयपुर।
4. महन्त गोविन्ददास स्वामी शिष्य स्व. श्री महन्त श्री हनुमानदास स्वामी एकल प्रन्यासी ट्रस्ट दादूद्वारा रामगंज व महन्त दादूद्वारा रामगंज निवासी दादूद्वारा रामगंज बाजार, जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार जयपुर नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 03.12.2013 ग्राम किशनपोल तहसील जयपुर ।

उपस्थितः–

1. श्री ज्ञानेश्वर बाढदार अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. श्री गणेश विजयवर्गीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से।
3. श्री राकेश शर्मा अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से ।

(2) प्रकरण संख्या 22/2016 (राजस्व अपील)

1. डॉ. के.एल. जायसवाल पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीचन्द जायसवाल निवासी मकान नम्बर एन–15, देहली आई हॉस्पीटल, आनन्दपुरी, मोती डूंगरी रोड, जयपुर ।
2. जनक कुमार माली पुत्र श्री नानगराम माली निवासी देहली आई हॉस्पीटल, आनन्दपुरी, मोती डूंगरी रोड, जयपुर ।
3. प्रहलाद कुमार मीणा पुत्र स्व. श्री राम लक्ष्मण मीणा निवासी महन्त का बाग, आनन्दपुरी, मोती डूंगरी रोड, जयपुर ।
4. कुमारी प्रीतम पुत्री गणेश नारायण निवासी आनन्दपुरी, मोती डूंगरी रोड, जयपुर ।
5. गिरधारी लाल सैनी पुत्र स्व. श्री बाबूलाल सैनी निवासी निवाई महन्त का बाग, मोती डूंगरी रोड, जयपुर।
6. मुकेश सैनी पुत्र स्व. श्री बाबूलाल सैनी निवासी निवाई महन्त का बाग, मोती डूंगरी रोड, जयपुर।
7. कैलाश मीणा पुत्र स्व. श्री रामगोपाल मीणा निवासी निवाई महन्त का बाग, आनन्दपुरी, मोती डूंगरी रोड, जयपुर।

अपीलार्थी

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर ।

2 रामप्रकाश दास स्वामी निवासी दादूद्वारा रामगंज बाजार, जयपुर।

3 महन्त गोविन्ददास स्वामी एकल प्रन्यासी ट्रस्ट दादूद्वारा रामगंज बाजार जयपुर पता दादूद्वारा, रामगंज बाजार, जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार जयपुर नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 03.12.2013 ग्राम किशनपोल तहसील जयपुर ।

उपस्थितः–

1 श्री हरीश कुमार सैनी अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।

2 श्री गणेश विजयवर्गीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से।

3 श्री राकेश शर्मा अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से।

निर्णय दिनांक 11.03.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम किशनपोल तहसील जयपुर के नामान्तरकरण संख्या 46 पर तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2013 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा पृथक–पृथक अपील पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर प्रथक प्रथक दर्ज रजिस्टर की गई। तहत रिकार्ड तलब किया गया। प्रत्यर्थी रामप्रकाश दास स्वामी एवं महन्त गोविन्द दास स्वामी प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीपी के माध्यम से पक्षकार बनाये गये। प्रत्यर्थी रामप्रकाश दास स्वामी की ओर से अधिवक्ता श्री गणेश विजयवर्गीय उपस्थित है। प्रत्यर्थी श्री महन्त गोविन्द दास स्वामी की ओर से वकील श्री राकेश शर्मा उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पक्षकारान द्वारा दानों अपीलें एक ही नामान्तरकरण व एक ही आदेश के विरूद्व होने से कन्सोलीडेट की जाकर सामूहिक बहस सुनने का निवेदन किया गया । जिसे स्वीकार किया जाकर दोनों अपीलों पर सामूहिक बहस समायत की गई।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अपीलार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि रामगंज बाजार जयपुर स्थित दादूद्वारा के महन्त श्री मन्नादास जी थे उनके शिष्य रामप्रसाद दास स्वामी हुये मन्नादास जी को जयपुर रियासत के समय से फतेह टीबा आदर्श नगर में आबादी भूमि दी हुई थी। जिसमें रिहायशी मकान चरण मोरासन, छतरियां, तिवारियां आदी है जो खसरा नम्बर 461 व 462 वर्तमान आनन्दपुरी जयपुर में स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 461 रकबा 3 बीघा व खसरा नम्बर 462 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा गै. मु. आबादी भूमि है जो स्वामी रामप्रसाद जी की निजी मिल्कियत की भूमि रही है। महन्त मन्नादास जी जो कि निवाई वाले महन्त के नाम से प्रसिद्व थे, उनकी ग्राम हरध्यानपुरा तहसील बस्सी में स्थित भूमि जागीर में थी और जागीर

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

रिजम्पशन एक्ट के अनुसार मन्नादास जी ने अपनी निजी सम्पत्ति के लिए आवेदन किया था जिस पर जागीर कमिश्नर ने दिनांक 18.03.1963 को महन्त मन्नादास जी की निजि सम्पत्ति में शहर की भूमियां जो रामगंज बाजार में फतेह टीबा, आदर्श नगर, फूटा खुर्रा आदि मे है, ग्राम हरध्यानपुरा तहसील बस्सी मे स्थित हवेली व नोहरा भी है। उक्त सम्पतियों को जागीर कमिश्नर ने मन्नादास जी की निजी सम्पत्ति घोषित की थी और मन्नादास जी के पश्चात उनके शिष्य रामप्रसाद जी के नाम आई । जागीर कमिश्नर के निर्णय दिनांक 18.03.1963 के विरूद्व राज्य सरकार ने एक अपील राजस्व मण्डल में की और राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 12.10.1965 में ग्राम हरध्यानुपरा की भूमि को ही जागीर की भूमि मानी शेष सम्पत्ति जागीर कमिश्नर के क्षेत्राधिकार में नहीं होना माना अर्थात राज्य सरकार की अपील केवल हरध्यानपुरा की भूमि तक ही स्वीकार की गई। शेष भूमियों के लिए जागीर कमिश्नर को पुनः जांच करने हेतु प्रकरण भेज दिया । इससे स्पष्ट है कि ग्राम हरध्यानपुरा की भूमि के आलावा अन्य सम्पत्ति व भूमि के बारे में कोई निर्णय नहीं दिया गया लेकिन तहसीदार जयपुर ने खसरा नम्बर 461 व 462 की दादूद्वारा हरध्यानपुरा की मान कर नामान्तरकरण खोल दिया जो गलत है। राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 12.10.1965 की अनुपालना तहसीलदार जयपुर द्वारा दिनांक 03.12.2013 को की गई और किस आधार पर की गई स्पष्ट विवरण भी नहीं है। रामप्रसाद दास जी के वारिस एवं उनके द्वारा कायम सार्वजनिक प्रन्यास दादूद्वारा रामगंज के सेवक एवं हितधारी को कोई नोटिस नहीं दिया । सारी कार्यवाही एक तरफा में की गई है जिसके कारण भी नामान्तरकरण संख्या 46 जो दिनांक 03.12.2013 को खोला गया है अवैद्य है। न्याय का सिद्वान्त है कि हितधारी को सूचना दिये बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। रामप्रसाद दास स्वामी की मृत्यु भी दिनांक 02.02.2003 को हो गई और उसके द्वारा की गई वसीयत के अनुसार खसरा नम्बर 461 व 462 के कुछ हिस्से पर गोविन्दराम स्वामी चेला रघुवर दास स्वामी तथा प्रन्यास दादूद्वारा रामगंज ही काबिज है लेकिन न तो उन्हें नोटिस दिया और ना ही तहसीलदार जी ने इसकी जांच की, जिसके कारण भी आज्ञा तहसीलदार जी की निरस्त करने योग्य है। डॉ. दयाराम स्वामी महन्त रामप्रसाद दास **द्वारा कायम प्रन्यास** दादूद्वारा रामगंज के सेवक व हितधारी है और उक्त भूमि में हित रखते है । क्योंकि खसरा नम्बर 461 व 462 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी भूमि है और वर्तमान में आनन्दपुरी जयपुर में स्थित है जो कभी भी दादूद्वारा संस्था हरध्यानुपरा की नहीं रही है। जिस कारण से भी तहसीलदार जी ने जो आदेश दिया है वह सरासर अवैद्यानिक है। राजस्व मण्डल के निर्णय एवं जागीर कमिश्नर के निर्णय के विपरीत है। इस कारण आज्ञा दिनांक 03.12.2013 नामान्तरकरण संख्या 46 निरस्त फरमाया जावे। खसरा नम्बर 461 व 462 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा में से अवाप्ति की कार्यवाही में अपर कलक्टर भू–अभिलेख द्वारा दिनांक 31.07.1963 को 2520 वर्गगज भूमि जो अवाप्त की गई थी और उसका अवार्ड 5/–रूपये प्रति वर्गगज के हिसाब से 12600/–रूपये का अवार्ड खातेदार रामप्रसाद चेला महन्त मन्नादास के हक में जारी किया था इससे भी स्पष्ट है कि भूमि दादूद्वारा संस्था हरध्यानपुरा की कतई नहीं थी। बल्कि अवार्ड को कम मानते हुये खातेदार रामप्रसाद दास जी ने सैशन कोर्ट में अवार्ड के विरूद्व उज्रदारी की थी और अवार्ड राशि सन् 1971 में 63585/–रूपये कर दी गई। जिसकी नगर विकास न्यास द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मे अपील भी की थी। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 12.03.1981 को निर्णय करते हुये 63585/–रूपये के अवार्ड को सही माना है। इन सभी प्रकरणों से स्पष्ट है कि भूमि रामगंज

जिला कलक्टर
जयपुर

बाजार में स्थित दादूद्वारा के महन्त भी मन्नादास जी की निजी सम्पत्ति थी और उसके मरने के बाद उनके शिष्य रामप्रसाद दास चेला मन्नादास जी की निजी सम्पत्ति हुई। चूंकि अवाप्ति का अवार्ड भी उनके नाम से ही जारी हुआ। उक्त उनवानी अपील में एक आवेदन रामप्रकाश दास ने जो पक्षकार बनने का दिया है वो भी गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया। रामप्रकाश दास का अपील में जो वर्णित भूमि है उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। रामप्रकाश दास ने उक्त सम्पत्तियों व अन्य सम्पत्ति के बाबत अपना उज्र बतौर हनुमानदास का चेला बनकर किया था और राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय से रामप्रकाश दास को हनुमान दास का चेला नहीं माना है और न ही उक्त सम्पत्ति व अन्य सम्पत्ति एवं ट्रस्ट दादूद्वारा रामगंज से कोई संबंध होना ही माना है। इसलिए उसका कोई हक नही बनता है । इसलिए उसका कोई उज्र चलने योग्य नहीं है। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत अब कोई निर्णय रामप्रकाश दास के लिए नहीं किया जा सकता है। खसरा नम्बर 461 व 462 में से कुछ भूमि अपील संख्या 22/2106 में उल्लेखित अपीलार्थीगण को महन्त रामप्रसाद जी द्वारा जरिये रजिस्डर्ट विकय पत्र बेचान की गई । क्योंकि उक्त भूमि उनकी निजी सम्पत्ति थी। जे डी ए ने भी भूमि रामप्रसाद दास की मानते हुये कुछ वर्गगज अवाप्त की गई है जिसका मुआवजा रामप्रसाद दास ने ले लिया है। शेष भूमि रामप्रसाद दास जी की है जिस पर कोई आपत्ति किसी ने नहीं की है। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 461 व 462 कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा स्थित ग्राम किशनपोल आनन्दपुरी जयपुर स्व॰ श्री महन्त रामप्रसाद दास स्वामी चेला स्व॰ महन्त श्री मन्नादास जी स्वामी की निजी मिल्कियत की भूमि रही है । उक्त भूमि में से अवाप्ति के बाद शेष रही भूमि में से कुछ भूमि खातेदार महन्त रामप्रसाद दास स्वामी द्वारा अलग अलग विकय कर दी थी। तथा शेष बची सम्पति का निस्तारण जरिये पंजीकृत वसीयत दिनांक 10.09.2001 के माध्यम से किया गया था। उक्त वसीयत दिनांक 10.09.2001 आज दिवस तक भी प्रभावी है तथा सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा उक्त वसीयत दिनांक 10.09.2001 को निरस्त नहीं किया गया है। तहसीलदार जी द्वारा जाचं रिपोर्ट दिनांक 29.01.2021 को भेजी गई है उसमें भी उक्त भूमि माफी मन्दिर की नहीं मानी है और निजी सम्पत्ति मानी है। तहसीलदार जयपुर ने नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 03.12.2013 जिस प्रकार से संस्था हरध्यानपुरा के नाम तस्दीक किया है वो सरासर गलत है। चूंकि खसरा नम्बर 460 व 462 की भूमि तो पूर्व में ही यानि संवत 2015 से ही गैर मुमकिन आबादी दर्ज हो चुकी है जिसका हवाला तहसीलदार जयपुर ने भी अपने जबाब में अंकित किया है। इसलिए तहसीदार जयपुर को इस प्रकार नामान्तरकरण परिवर्तित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है । विवादित खसरा नम्बर 461 व 462 की भूमियों को अपीलान्ट व अन्य कालोनीवासियान ने महन्त रामप्रसाद दास से कय कर 70–80 वर्ष से ही काबिज हो कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान की सम्पूर्ण भूमि का बेचान महन्त रामप्रसाद द्वारा किया जा चुका है। इस कारण अपीलान्ट व अन्य कालोनीवासियान के नाम नामान्तकरण दर्ज किया जाना चहिये था, परन्तु तहसीलदार ने आक्षेपित आदेश पारित कर बिना किसी आधार के दादूद्वारा हरध्यानपुरा ट्रस्ट के नाम उक्त भूमि का नामान्तरकरण दर्ज कर कानूनी भूल कारित की है । इस कारण अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार जयपुर के आदेश दिनांक 03.12.2013 को अपास्त किये जाने के आदेश फरमावें ।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

5. प्रत्यर्थी महन्त रामप्रकाश दास स्वामी के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये लिखित बहस पेश कर कथन किया की कि अपीलार्थी डॉ. दयाराम स्वामी व अन्य ने उक्त अपील नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 03.12.2023 के विरूद्व पेश की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। दादूद्वारा निवाई महन्त का रास्ता रामगंज जयपुर एक पंजीकृत ट्रस्ट है जिसकी पंजीयन संख्या 321 दिनांक 20.01.1971 है। जिसके महन्त हनुमानदास जी एकल प्रन्यासी थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में प्रन्यास की अचल सम्पत्ति खसरा नबर 461 व 462 कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी वाके चक बस्सी सीतारामपुरा हाल वाके आदर्श नगर जयपुर को प्रन्यास के दर्ज अभिलेख किये जाने हेत प्रपत्र 8 मान्य सहायक आयुक्त प्रथम देवस्थान विभाग के समक्ष दिनांक 04.08.2015 को पेश किया और दौराने विचाराधीन कार्यवाही महन्त हनुमान दास जी का आकस्मिक निधन दिनांक 14.09.2017 को हो गया जो प्रपत्र 8 बाद सुनवाई कर हाल ही आदेश दिनांक 02.08.2021 द्वारा स्वीकार किया। अपील में वादग्रस्त सम्पदा प्रन्यास श्री दादूद्वारा रामगंज के नाम दर्ज अभिलेख का आदेश हो चुका है जो ट्रस्ट सम्पदा है। आदेश दिनांक 02.08.2021 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। धार्मिक ट्रस्ट सम्पदा का कानूनन बेचान प्रतिबन्धित है। अपील में वादग्रस्त सम्पत्ति आराजी खसरा नम्बर 461 व 462 वाके चक बस्सी सीतारामपुरा वर्तमान मे निवाई महन्त का बाग आनन्दपुरी आदर्शनगर जयपुर में है जो जागीर दादूद्वारा हरध्यानपुरा के अन्तर्गत आती है। जागीर दादूद्वारा हरध्यानपुरा एक धार्मिक जागीर (दादूद्वारा) रही है। जिसे समय–समय पर रियासतकाल में जयपुर राज्य से दादूद्वारा, साधूसेवा, धार्मिक एवं पूण्यार्थ प्रयोजन हेतु अलग अलग स्थानों यथा ग्राम भवानी शंकरपुरा, तहसील सवाई जयपुर (वर्तमान में किशनपोल तहसील बस्सी सीतारामपुरा) ग्राम हरध्यानपुरा तहसील बस्सी ग्राम चीमापुरा तहसील चाकसू, ग्राम कांसेल तहसील फागी आदि मे उदक (Charitable Grant) में भूमि प्रदान की गई है। कस्बा सवाई जयपुर में ग्राम भवानी शंकरपुरा (वर्तमान में ग्राम किशनपोल, तहसील बस्सी सीतारामपुरा) स्थित खसरा नम्बर 461 व 462 वर्तमान मे निवाई महन्त का बाग आनन्दपुरी आदर्श नगर जयपुर) की भूमि का महन्त आमोलक दास चेला संतोख दास को संवत 1881, 1824 ईस्वी में पट्टा दिया गया। महन्त चन्दनदास की मातमी मन्नादास के नाम होने संबंधी दस्तावेजों 1927 ईस्वी में निम्न सम्पत्ति उदक (Charitable Grant) में देने का उल्लेख किया गया है। (ए) ग्राम चिमनपुरा में महन्त संतोख दास को सम्वत 1848 में पट्टा दिया गया । (बी) कस्बा सवाई जयपुर में (वर्तमान में ग्राम किशनपोल तहसील बस्सी सीतारामपुरी) स्थित खसरा नम्बर 461 व 462 (वर्तमान में निवाई महन्त का बाग, आनन्दपुरी, आदर्श नगर, जयपुर) महंत अमोलक दास चेला संतोख दास को सम्वत 1881 मे पट्टा दिया गया। (सी) ग्राम हरध्यानपुरा में महन्त गोविन्ददास चेला संतोख दास को संवत 1887 में पट्टा दिया गया। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में 4 अवसरों पर इस संबंध में मातमी की अनुमति प्रदान की गई है उक्त समस्त सम्पत्तियां निवाई महन्त/धार्मिक जागीर हरध्यानुपरा तहसील बस्सी जिला जयपुर के अन्तर्गत ही धार्मिक एवं पूण्यार्थ हेतु उक्त सम्पत्तियों में सम्मलित है। जयपुर रियासत के अधीक्षक रिकार्ड एवं प्रभारी दीवानीं हजूरी दफ्तर की कार्यालय टिप्पणी (List of the holdings of Mahant Niwai) दिनांक 04.05.1936 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि जयपुर शहर के बाहर 5 बीघा भूमि मोती डूगरी रोड पर पूण्य (Charitable Grant) हेतु संवत 1881 (1824 ईस्वी) में प्रदान की गई थी तथा वादग्रस्त सम्पत्ति सहित खसरा नम्बर 461 व 462 की उक्त भूमि पर अनेक प्राचीन कालीन दादूपंथी

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मंदिर/समाधियां/छतरियां/चबूतरे/तिबारे बने हुए है जो प्राचीन रियासत कालीन स्थापत्य कला/वास्तुकला/मूर्तिकला/सैन व्यवस्था के साथ ही नागा साधुओं /नागा साधुओं के अखाडों/दादूपंथी विचारधारा की संस्कृति के उत्कृष्ट उदाहरण/नमूने है। जिनमें से 17 वी शताब्दी के विख्यात एवं तत्कालीन दादूपंथी अध्यात्मक के प्रमुख संतोख दास जी (अमोलक दास जी के पूर्वज) के दादूद्वारा (जिसमें उनके पैरों की अनुकृति स्थापित है) महन्त मन्नादास जी के चबूतरे सहित अन्य समाधियां/अनुकृतियां आदि सम्मलित है। बतौर पूण्य उदक (Charitable Grant) में प्राप्त वादग्रस्त सम्पत्ति किसी व्यक्ति विशेष की स्व अर्जित सम्पत्ति नहीं होकर धार्मिक जागीर दादूद्वारा हरध्यानपुरा की पुण्यार्थ प्रयोजन के भूमि भवन परिसर है जो चादर के आधार पर अनवरत उत्तरोतर महन्त को प्राप्त होती रही है। उक्त सम्पत्ति साधू सन्तों की निजी सम्पत्ति के रूप मे कभी नही रही। इनकी देखरेख व सार सम्भाल धार्मिक जागीर के महन्तों/गद्दी नवीसों द्वारा प्रबन्धक की हैसियत से की जाती रही है तथा धार्मिक एवं पुण्यार्थ कार्यो के काम आती रही है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952, राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण नियम 1954 के नियमों के प्रावधानों के तहत ही श्री मन्नादास महन्त दादूद्वारा जागीर हरध्यानुपरा तहसील बस्सी जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत मुआवजा दावा संख्या एफ (215) जे. सी 1 जैपुर 1 में अतिरिक्त जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02.05.1962 के तहत जागीर को धार्मिक मानते हुये इस संबंध में वार्षिक वृत्ति (Annuity) निर्धारित की गई है तथा इसके पश्चात दावा संख्या एफ (215) जे. सी जयपुर 1 बाबत वार्षिक वृत्ति (Annuity) जागीर हरध्यानुपरा तहसील बस्सी जिला जयपुर प्राप्त करने हेतु राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण नियमावली सन् 1954 के नियम 39 (3) ए के अन्तर्गत व्यवस्थापक की नियुक्ति बाबत जागीर आयुक्त राजस्थान जयपुर द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 26.08.1987 के अनुसार जागीर आयुक्त राजस्थान जयपुर द्वारा वार्षिक वृत्ति (Annuity) के संबंम में महन्त रामप्रसाद हेतु फार्म 12 ए दिनांक 03.10.1987 जारी किया गया है। उक्त दोनो निर्णयों के अनुसार पूर्व में महन्त मन्नादास एवं तत्पश्चात धार्मिक जागीर दादूद्वारा हरध्यानपुरा के महन्त मन्नादास जी की ओर से महन्त रामप्रसाद द्वारा दादूद्वारा रामगंज बाजार जयपुर के नाम से सार्वजनिक प्रन्यास के पंजीयन उपरान्त दादूद्वारा रामगंज के प्रन्यास द्वारा निरन्त वार्षिकी प्राप्त की जाती रही है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 व राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण नियम 1954 के नियमों के तहत ही महन्त मन्नादास द्वारा धार्मिक जागीर हरध्यानपुरा की ग्राम किशनपोल तहसील बस्सी सीतारामपुरा वर्तमान में निवाई महन्त का बाग आनन्दपुरी आदर्श नगर जयपुर स्थित खसरा नम्बर 461 व 462 की भूमि सहित 09 सम्पत्तियों को निजी घोषित करवाने के लिए अतिरिक्त जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर को दावा नम्बर 55/पी1 पी1 जे1 सी1 जयपुर महन्त मन्नादास बनाम राज्य सरकार प्रस्तुत किया जिसमे दिनांक 31.10.1962 को निर्णय जारी किया गया और निर्णय के तहत आईटम नम्बर 5 को छोड़ कर ग्राम किशनपोल तहसील बस्सी सीतारामपुरा वर्तमान में निवाई महन्त का बाग आनन्दपुरी आदर्श नगर जयपुर स्थित खसरा नम्बर 461 व 462 सहित सभी 8 सम्पत्तियां दादूद्वारा जागीर हरध्यानपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर की होना घोषित किया गया तथा दादूद्वारा के महन्त मन्नादास का बताया गया है। निर्णय की प्रतिलिपि राजस्व सचिव राजस्व विभाग जयपुर डिप्टी कलक्टर जागीर जयपुर व कलेक्टर जयपुर तथा श्री हरीश चन्द्र स्वामी लीगल एडवाईजर जागीर जयपुर को भी जारी की गई है। राजस्व

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मण्डल राजस्थान अजमेर का आदेश दिनांक 12.10.1965 को हुआ जिसके विरूद्व कोई अपील नहीं हुई, जो आदेश अंतिम है। जिसके तहत आराजी खसरा नम्बर 461 व 462 का नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 12.03.2013 से श्री दादूद्वारा के नाम जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 12.10.1965 से सम्पदा धर्मिक जागीर दादूद्वारा हरध्यानपुरा की मानी गई और जिसका नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 03.12.2023 के तहत दादू द्वारा हरध्यानपुरा संस्था के नाम से दर्ज हो चुका है जो प्रन्यास सम्पदा है तथा नामान्तरकरण संख्या 46 विधिनुसार है। ट्रस्ट के संस्थापक कार्यवाही प्रन्यासी महन्त हनुमानदास का आकस्मिक निधन दिनांक 14.09.2017 को होने पर ट्रस्ट के कार्यवाही प्रन्यासी को लेकर प्रपत्र 8 प्रार्थी राम प्रकाश दास स्वामी तथा एक प्रपत्र 8 गोविन्द दास स्वामी की ओर से पेश किया जिसमें आदेश दिनांक 07.06.2019 द्वारा प्रपत्र 8 प्रार्थी का खारिज किया गया तथा प्रपत्र 8 गोविन्ददास स्वामी का स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्व डी बी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर मे लम्बित है तथा कार्यवाहक प्रन्यासी का मामाला लम्बित है। वादग्रस्त सम्पत्ति श्री दादूद्वारा प्रन्यास की सम्पत्ति है जिसमें छतरिया, दादू संतों के चरण स्थापित है जो धार्मिक माफी दादूद्वारा पून्यार्थ प्रन्यास सम्पदा है। जिसके सम्बन्ध में महन्त रामप्रसाद दास स्वामी को कथित वसीयत से सम्पदा अन्तरण करने का अधिकार नहीं है, जबकि धारा 46 टीनेन्सी एक्ट एवं राज्य सरकार के जारी परिपत्र अनुसार धार्मिक सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गई वसीयत का अन्रतण या दस्तावेज मूलत अवैद्य व शून्य प्रभावी है और जिनमें में किसी भी व्यक्ति को या अपीलार्थी को कोई कानूनन हक अधिकार सृजित नहीं होते है। जबकि महन्त रामप्रसाद दास जो श्री दादूद्वारा के महन्त थे उनके पश्चात हनुमान दास स्वामी कार्यवाहक प्रन्यासी हुये और उनके पश्चात उनका शिष्य उत्तराधिकारी प्रबन्धक व कार्यवाहक प्रन्यासी, मिन रेस्पोडेन्ट है और जिनके द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति व दादूद्वारा व प्रन्यास की सम्पत्तियों का प्रबन्ध व्यवस्था की जाती आ रही है। वादग्रस्त सम्पत्ति प्रारम्भ से ही धार्मिक जागीर की सम्पत्ति रही है तथा अतिरिक्त जागीर का निर्णय दिनांक 31.10.1962 व तत्पश्चात मान्य न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के दिनांक 12.10.1965 के निर्णय के अनुसार भी उक्त सम्पदा को महन्त मन्नादास या उसके उत्तरोतर उत्तराधिकारी महन्त रामप्रसाद दास स्वामी/महन्त हनुमान दास स्वामी की निजी सम्पत्ति नहीं माना गया । हाल ही में सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग प्रथम जयपुर के आदेश दिनांक 02.08.2021 द्वारा प्रपत्र 8 स्वीकार किया जाकर अपील में वादग्रस्त सम्पदा प्रन्यास श्री दादूद्वारा रामगंज के नाम दर्ज अभिलेख का आदेश हो चुका है जिसका अपीलार्थी ने कन्टेस्ट किया तथा जिस आदेश के विरूद्व अपीलार्थी व अन्य द्वारा मान्य आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर कैम्प जयपुर मे अपील कर रखी है। जिसमें में कोई स्थगन नहीं है तथा अपीलार्थी प्रन्यास में हितबद्व नहीं है। बल्कि प्रन्यास विरोधी है और प्रन्यास सम्पदा जो धार्मिक जागीर है जिस पर जबरन अधिकार कायम करने के आशय से यह अपील मिथ्या आधारों पर पेश की गई है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में नामान्तरकरण के आदेश का चुनौती दी गई है जो वादग्रस्त सम्पत्ति प्रन्यास सम्पदा है। वादग्रस्त सम्पत्ति प्रारम्भ से ही धार्मिक जागीर की सम्पत्ति रही है तथा अतिरिक्त जागीर का निर्णय दिनांक 31.10.1962 व तत्पश्चात राजस्व मण्डल निर्णय दिनांक 12.10.1965 के अनुसार भी उक्त सम्पदा को महन्त मन्नादास या उसके उत्तरोतर उत्तराधिकारी महन्त रामप्रसाद दास सवामी/महन्त हनुमान दास स्वामी की निजी सम्पत्ति नही

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

माना गया है साथ यह भी ज्ञात रहा है कि उक्त दिनांक 12.10.1965 के निर्णय की पालना में ही जिला कलक्टर द्वारा समुचित जांच एवं विधिक परीक्षण उपरान्त तत्कालीन जिला कलक्टर के निर्देशानुसार तहसीलदार जयपुर के आदेशानुसार नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 03.12.2013 के तहत उक्त सम्पत्ति दादूद्वारा हरध्यानपुरा के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है जो विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नही है। वाद ग्रस्त सम्पत्ति व प्रन्यास के सम्बन्ध में अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट के मध्य वाद विवाद चले है जिसमे डॉ॰ दयाराम स्वामी ने रेस्पोडेन्ट के महन्त रामप्रकाश दास व दादूद्वारा रामगंज में स्थित किरायेदारों से किराया रोकने व मिस मनेजमेन्ट व मिथ्या आरोप लगाते हुए एक आवेदन अन्तर्गत धारा 38 सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के तहत पेश किया था खारिज हो गया । वादग्रस्त सम्पत्ति दादूद्वारा की सम्पत्ति है जिसका धार्मिक जागीर के पुन्यार्थ बताते हुये नामान्तरकरण का आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत है । जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2014(3)WLC 789 Raj एवं धार्मिक प्रन्यास सम्पदा के संबंध में किसी भी प्रकार की कथित वसीयत प्रारम्भ से ही अवैद्य व शून्य है जिसे निरस्त कराया जाना आवश्यक नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2009 WLC CC Civil Page 145 Para (H) अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। वादग्रस्त सम्पत्ति धार्मिक प्रन्यास सम्पदा होने से अपील खारिज कर नामान्तरकरण यथावत रखे जाने का आदेश फरमावे।

6. प्रत्यर्थी महन्त गोविन्ददास स्वामी के अधिवक्ता ने दलील प्रस्तुत की कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने ऐसा कोई निर्णय परित हीं नहीं किया था कि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि किसी तथाकथित संस्था दादूद्वारा संस्था हरध्यानपुरा की भूमि है । वास्तव में दादूद्वारा संस्था हरध्यानपुरा नामक कोई संस्था ना तो पूर्व में कभी अस्तित्व में रही है और ना ही वर्तमान में ऐसी कोई संस्था विद्यमान है। ऐसी स्थिति मे तहसीलदार जयपुर द्वारा राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 12.10.1965 की गलत व मानमानी व्याख्या को आधार बना कर पारित किया गया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण पूर्णतया कानून के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अत अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किंये जाने के आदेश फरमावे।

7. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

8. सर्वप्रथम हम अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहेंगे। यद्यपि अपीलान्ट की ओर से अपील विलम्ब से पेश की गई है, किन्तु न्यायहित में विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाता है । अपील का मैरिट पर निस्तारण किया जाता है।

9. अपीलार्थी ने ग्राम किशनपोल तहसील जयपुर के नामान्तरण संख्या 46 पर तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2013 के विरूद्व पेश की गई है। खसरा नम्बर 461 व 462 की विवादित भूमि शहरी सीमा में स्थित होकर किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। शहरी सीमा में स्थित किस्म गैर मुमकिन आबादी की भूमियां नगर निगम व जयपुर विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में होती है। अपील संख्या 22/2016 के अपीलार्थीगण ने अपने आपको भू-खण्डधारी बताते हुये अपील पेश की है। जिसके लिए अपीलार्थीगण सक्षम सिविल न्यायालय मे चारःजोही करने के लिए स्वतंत्र है। चूंकि विवादित भूमि दादूद्वारा संस्था हरध्यानपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड हो चुकी थी। इस कारण अपीलार्थी को कानूनन दादूद्वारा सस्था हरध्यानपुरा को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिये था।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

जो बाद में आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के माध्यम से पक्षकार बने है। अपीलार्थीगण क्लीन हैण्ड से नहीं आये है। आलौच्य नामान्तरकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 12.10.1965 एवं जिला कलक्टर जयपुर के आदेश दिनांक 08.11.2023 एवं स्वयं तहसीलदार जयपुर के आदेश दिनांक 02.12.2013 के अनुसार तहसीदार द्वारा दादूद्वारा संस्थान हरध्यानपुरा के नाम तस्दीक किया गया है। प्राईमाफेसी वादग्रस्त भूमि दादूद्वारा धार्मिक प्रन्यास की सम्पदा है जो पूण्य उदक (Charitable Grant) में प्राप्त है ऐसी सम्पत्ति किसी व्यक्ति विशेष की स्व अर्जित सम्पत्ति नहीं हो सकती है और ऐसी सम्पत्तियों का दान, वसीयत या विक्रय द्वारा भी किसी को अन्तरण नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। ग्राम किशनपोल के नामान्तरकरण संख्या 46 पर तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2013 की पुष्टि की जाती है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

10. निर्णय की प्रति अपील संख्या 38/2014 व 22/216 पर प्रथक प्रथक रखी जावे। निर्णय की प्रति हस्ब कायदा तहसीलदार जयपुर को मय तहत रिकार्ड प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक **11.03.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner